



Ch. Charan Singh University Meerut -250004

Letter No. B. Ed. /05 **3553**
Date: 08/12/2020

बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम
शैक्षिक सत्र 2020-22 में सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेश के लिए पात्रता एवं प्रवेश हेतु निर्देश

बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत् है-

1. विज्ञान/वाणिज्य/सामाजिक-विज्ञान/मानविकी वर्ग के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंको के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि बी०ई० एवं बी०टेक० में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) अंको के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी अर्ह है।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी०ई० एवं बी०टेक० में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी अर्ह है।
3. विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार प्रदान की जाएगी

IMPORTANT DATES:

- 1- Registration starts on admission.ccsuweb.in
- 2- Registration Closed 08-12-2020
- 3- College will prepare Merit list and declare it on the college website and notice board 09-12-2020
- 4- Admission confirmation on Portal & Admissions Closed in colleges 10-12-2020
- 5- College will have to submit the hard copy and soft copy of the list of the admitted students (till 11-12-2020) in the University to D.R. Exam, B.Ed. Cell (Room No. 210) C.C.S. University, Meerut. 11-12-2020

IMPORTANT NOTE:

- 1- Registered students can only take the admission in a college/institute for which the student has given any choice at the time of registration on University Portal on any working day from 07-12-2020 to 11-12-2020.
- 2- College shall admit only those students who have already been registered and confirmed on University Portal.
- 3- No other students shall be allowed to take admission in any case.
- 4- Once the student has confirmed his/her admission in any college of his/her choice, the transfer in any other college will not be allowed in any circumstances.

विशेष : यदि कोई संस्थान उपरोक्त तिथियों के अनुक्रम में सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराता है, तो विश्वविद्यालय घोषित तिथि के उपरान्त विद्यार्थियों की कोई सूची नहीं लेगा, न ही उनकी परीक्षा करायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होगी।


कुलसचिव
Incharge Officer
Ch. Charan Singh University
Meerut